

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क0एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/349

जयपुर, दिनांक: 02.5.2017

::: परिपत्र :::


राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की पंचायतों में दिनांक 14 अप्रैल, 2017 से 12 जुलाई, 2017 तक 90 दिवस के लिए चलाए जा रहे पट्टा वितरण अभियान का नाम तुरन्त प्रभाव से "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान" रखा जाता है।

अतः समस्त संबंधित से अनुरोध है कि इस अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों के प्रचार-प्रसार एवं अभियान से संबंधित पत्रादि में इस अभियान हेतु "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान" नाम का प्रयोग किया जाये।


(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
7. जिला कलेक्टर, समस्त।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
9. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।


उप शासन सचिव (विधि)